

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....85...../2026

पत्रांक अ0नि0(02) 40/2025/नि0सं0

श्रीमती रिचा मिश्रा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) को वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 13.03.2026 से 05.05.2026 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती रिचा मिश्रा द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात इनका कुल $730-54=676$ दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित है।

3. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(अजीत कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक : अ0नि0 (02) 40/2025/नि0सं0.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) /मुख्य अभियोजक, बिहारशरीफ (नालंदा) /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती रिचा मिश्रा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक : अ0नि0 (02) 40/2025/नि0सं0.....645

दिनांक.....10/3/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.3.26

उप सचिव।

(Signature)